कार्यालय – नगर निगम वाराणसी

पत्रांक– 36/SBM/VMC/25-26 दिनांक– 26/04/25

सूचना

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स–2016 के अन्तर्गत नगर निगम वाराणसी द्वारा प्रख्यापित स्वच्छता उपविधि–2017 में आंशिक संशोधन करते हुए यूजर चार्ज संशोधित किये जाने हेतु माननीय कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 08.01.2025 एवं माननीय सदन की बैठक दिनांक 18.03.2025 में विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त लिये गये निर्णय के अनुसार विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों को संचालित कर रहे प्रतिष्ठानों से एवं सर्वसाधारण/स्थानीय नागरिकों से अपील है कि संशोधित दरों का अवलोकन वाराणसी नगर निगम की वेबसाइट **https://nnvns.org.in** पर करने का कष्ट करें यदि उक्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति है तो लिखित रूप से कक्ष संख्या–45 में दिनांक 15 मई 2025 तक प्रस्तुत करने का कष्ट करें। निर्धारित समयावधि उपरान्त प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त आपत्तियों को गुण दोष के आधार पर निस्तारित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

(डा0 सुरेन्द्र कुमार चौधरी)	(सविता यादव)	(अक्षत वर्मा)
नगर स्वास्थ्य अधिकारी	अपर नगर आयुक्त	नगर आयुक्त

पृष्ठाकंन दिनांक–तदैव।

प्रतिलिपि–

1. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान...... वाराणसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना का प्रकाशन आगामी अंक के मुख पृष्ठ को छोड़कर न्यूनतम स्पेस में शासकीय दरों पर 10 के फांट में प्रकाशित करते हुए बिल प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. जनसम्पर्क अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सूचना एवं संशोधित यूजर चार्ज की दरों के समबन्ध में माननीय कार्यकारिणी समिति/माननीय सदन द्वारा लिये निर्णय की प्रति नगर निगम वाराणसी की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(अक्षत वर्मा)
नगर आयुक्त
नगर निगम वाराणसी

मद संख्या-09, दिनांक-18.03.2025	संकल्प संख्या- १९९
नगर निगम, वाराणसी द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि 2017 लागू की गयी थी, जिसके आधार पर नगर निगम, वाराणसी द्वारा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है। स्वच्छता उपविधि 2017 में वर्णित प्रशमन शुल्क के आधार पर तत्कालीन नगर आयुक्त महोदय के आदेश पत्रांक संख्या–324/सी०एस०यू०/ बीएमसी/2021–22 दिनांक–11.10.2021 द्वारा आवासीय / अनावासीय भवनों के विभिन्न श्रेणियों से यूजर चार्जेज वसूल की जा रही है। नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा जारी पत्रांक संख्या–11016/नौ–5–2021–162सा/2019 दिर्नाक–20.10.2021 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली का प्रख्यापन/ सम्बन्धित शासनादेश जारी किया गया है, जिसमै संख्या–257/नौ–2021–162सा/2021, दिनांक 20 अक्टूबर, 2021, जिसमे पूरे उत्तर प्रदेश के लिये नयी नियमावली जारी करते हुये, उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 20 अक्टूबर, 2021 जारी की गयी है, जो प्रदेश के सभी निकायों में लागू है।	**अध्यक्ष**– यूजर चार्जेज की प्रस्तावित दरो में कमांक संख्या 17 नर्सिंग होम व क्लीनिक के लिए संशोधित दर रू0 1000 रखा गया है, कुछ लोग अपने आवास में भी क्लीनिक खोलकर चलाते है, इनका एक अलग वर्गीकरण करते हुए ऐसे लोगो के लिए यूजर चार्ज रू0 400.00 रखकर जोड़ा जाय। **नगर आयुक्त**– अध्यक्ष महोदय हम सफाई का यूजर चार्ज ले रहे है, वर्गीकरण करने पर एजेन्सी मनमानी यूजर चार्ज की वसूली करेगी। **अध्यक्ष**– आवासीय वाले कम कर दें, इसमें रू0 400.0 रखा जाय, इसे वर्गीकरण कर जोड़ दिया जाय। **श्री अमरदेव यादव**– अध्यक्ष महोदय कमांक संख्या 20 छात्रावास 30 कमरे से कम रू0 4000 रखा गया है, उसे रू0 3000 किया जाय, इसी प्रकार से छात्रावास 30 कमरे व उससे अधिक का रू0 3000 रखा गया है, लगता है, टाइपिंग मिस्टेक है, रू0 3000.00 के स्थान पर रू0 4000. 00 सुधार कर किया जाय। **अध्यक्ष**– कम संख्या 24, दो पहिया अधिकृत वाहन सर्विस सेण्टर रू0 2500.00 निर्धारित किया गया है, इसमें एक प्राईवेट(निजी वाहन सर्विस सेण्टर) का अलग से किराया एरिया वर्गफीट के आधार पर किराया निर्धारित करें। **श्री सुरेश कुमार चौरसिया**– अध्यक्ष महोदय नगर निगम अधिनियम की धारा 573–क प्रयोक्ता प्रभार (यूजर चार्ज) हम सुविधा देगें तभी हम यूजर चार्ज वसूल करेगें। **श्री हारून अंसारी**– अध्यक्ष महोदय कम्पनी के कर्मचारी डोर टू डोर कूड़ा लेने नही आ रहे है, इसपर भी अंकुश लगना चाहिए। **नगर आयुक्त**– अध्यक्ष महोदय डोर टू डोर कूड़े का उठान वर्ष 2022 से एजेन्सी द्वारा की जा रही है। **अध्यक्ष**– एजेन्सी द्वारा भवनों पर लगाये गये क्यूआरकोड का जितना स्कैन करेगी उसी के सापेक्ष उसका भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। प्रस्ताव सर्वसम्मति से संशोधन के साथ स्वीकार किया जाता है।

उक्त जारी गजट नियमावली के पृष्ठ संख्या–22, अध्याय–नौ विन्दु संख्या–29 (1) में प्रयोक्ता शुल्क के सम्बन्ध में वर्णित है कि:–

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक–08 अप्रैल, 2016 के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 (च) में वर्णित है कि उपयोक्ता

...ार
नगर निगम–वाराणसी

फीस, जो समुचित समझी जाय, समय–समय पर विहित करना और स्वंय यह प्राधिकृत अभिकरण के माध्यम से ठोस अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं से फीस का संग्रह करना॰ तदनुसार उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानीय निकाय द्वारा नियमों का अनुपालन विषयक कार्यवाही की जायेगी.।

अवगत कराना है कि स्वच्छता उपविधि 2017 में वर्णित ष्प्रशमन शुल्क॰ के आधार पर तत्कालीन नगर आयुक्त के आदेश पत्रांक संख्या–324 / सी०एस०यू० / बीएमसी / 2021–22 दिनांक–11.10. 2021 द्वारा आवासीय / अनावासीय भवनों के विभिन्न श्रेणियों से वर्तमान समय में यूजर चार्जेज को वसूली की जा रही है। उक्त यूजर चार्जेज का निर्धारण वर्ष 2017 में 7 वर्ष पूर्व किया गया था। वर्तमान वर्ष 2025 में वाराणसी नगर की जनसंख्या में वृद्धि हुई है तथा प्रतिदिन वाराणसी आने वाले पर्यटकों व श्रद्धालुओं की संख्या में काफी वृद्धि होने के कारण जनित होने वाले कूड़े की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिसके संग्रहण एवं निस्तारण में व्ययभार अधिक बढ़ गया है। उक्त के दृष्टिगत पूर्व में निर्धारित यूजर चार्जेज को धनराशि में संशोधन करना नगर निगम हित में होगा। यूजर चार्ज को पूर्व निर्धारित दरे व प्रस्तवित दरों का का विवरण निम्नवत् है:–

क्र.	श्रेणी	(प्रतिमाह रू0 में) वर्तमान दर	प्रस्तावित दर	संशोधित दर
1	अ–पक्का भवन जिसकी एरिया 500 वर्गफिट से अधिक हो ब–पक्का भवन जिसकी एरिया 500 वर्गफीट से कम हो स–कच्चा	50.00 30.00 20.00	यथावत	
2	अ–जिसमें दुकान हो (500 वर्गफीट से अधिक एरिया हो) ब–जिसमें जिसकी दुकान हो (500 वर्गफीट से कम एरिया हो)	75.00 60.00	150.00 100.00	150.00 100.00
3	पान की दुकान	50.00	100.00	50.00
4	चाय की दुकान	50.00	100.00	50.00
5	रेस्टुरेन्ट (50 वर्गमीटर तक)	500.00	1000.00	700.00
6	रेस्टुरेन्ट (50 वर्गमीटर से अधिक)	800.00	1500.00	1000.00
7ए	होटल 30 कमरे तक	700.00	1500.00	1200.00
7बी	होटल 30 कमरे से अधिक	1500.00	3000.00	2500.00
7सी	होटल तीन सितारा व उसके उपर	4500.00	20000.00	20000.00
8ए	लाज (30 कमर तक)	300.00	600.00	500.00
8बी	लाज (30 कमरे से अधिक)	600.00	1200.00	900.00
9ए	धर्मशाला (30 कमरे तक)	150.00	300.00	250.00
9बी	धर्मशाला (30 कमरे से अधिक)	300.00	700.00	600.00
10	बैंक	250.00	500.00	1000.00
11	सिनेमा हाल	700.00	1500.00	1000.00
12ए	स्कूल जिसमें 500 विद्यार्थी से कम हो	700.00	1000.00	1000.00
12बी	स्कूल जिसमे 500 या उससे अधिक विद्यार्थी	1500.00	2000.00	2000.00
13	मॉल	4500.00	10000.00	10000.00
14	बड़े दुकान (जो 10 वर्गमी० या उससे अधिक क्षेत्रफल) अ–मुख्य मार्ग ब–उप मार्ग	150.00 100.00	300.00 200.00	200.00 100.00
15	मध्यम दुकान (जो 10 वर्गमी० या उससे अधिक क्षेत्रफल) अ–मुख्य मार्ग ब–उप मार्ग	100.00 60.00	150.00 100.00	100.00 60.00
16	सब्जी व फल की दुकान	150.00	250.00	150.00

नगर निगम–वाराणसी

17	नर्सिंग होम व क्लिनिक	750.00	1500.00	1000.00
18	अस्पताल 30 शैय्या से कम	2200.00	4000.00	2500.00
	अस्पताल 30 शैय्या उससे अधिक	4500.00	7500.00	7500.00
19	विवाह मण्डप	1000.00	2000.00	2500.00
	3000–5000 वर्ग फुट तक हाल	–	–	**2500.00**
	5001 वर्गफुट से ऊपर का हाल	–	–	**3000.00**
	3000 वर्ग फुट तक का ए.सी. लॉन	–	–	**3000.00**
	3001–6000 वर्ग फुट तक का ए.सी. लॉन	–	–	**6000.00**
	6000 वर्ग फुट से ऊपर के ए.सी. लॉन	–	–	**10000.00**
20	छात्रावास 30 कमरे से कम	350.00	500.00	3000.00
	छात्रावास 30 कमरे व उससे अधिक	700.00	1000.00	4000.00
21	उच्च शिक्षण संस्थान व विश्वविद्यालय	700.00	1000.00	6000.00
22	कोचिंग इंस्टीट्यूट 300 से कम विद्यार्थी।	1000.00	1500.00	1000.00
	कोचिंग इंस्टीट्यूट 300 व उससे अधिक विद्यार्थी	2000.00	2500.00	2500.00
23	वर्कशाप फैक्ट्री	750.00	2000.00	2000.00
24	दो पहिया अधिकृत वाहन सर्विस सेन्टर	–	–	2500.00
25	चार पहिया अधिकृत वाहन सर्विस सेन्टर	–	–	5000.00
26	बस/ट्रक एवं अन्य बड़ी गाडियों के अधिकृत सर्विस सेन्टर	–	–	10000.00

अतः प्रस्तावित यूजर चार्जेज की दरों को नगर निगम हित में अनुमोदन हेतु प्रस्ताव मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

महापौर
नगर निगम–वाराणसी

मद संख्या-10, दिनांक-08.01.2025

दिनांक–21.11.2024 को वाराणसी स्मार्ट सिटी के सभागार में योजित समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त पत्रांक–1108/न०आ० एस०टी०/2024–25, दिनांक–21.11.2024 को मा० महापौर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि ***''नवविस्तारित क्षेत्र में स्थित तालाबो के गुणवत्तापूर्ण मत्स्य पालन कर विक्रय किये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर अगली कार्यकारिणी की बैठक में रखा जाय।''***

उक्त निर्देश के अनुपालन में अवगत कराना है, कि नगर निगम सीमा विस्तार से पूर्व नगर निगम सीमान्तर्गत कुल 136 तालाब व सीमा विस्तार के पश्चात सम्मिलित ग्रामो में कुल 284 तालाब है, इस प्रकार कुल तालाबों की संख्या 384 है, जिसका विवरण निम्नवत है–

क्र.	जोनवार का नाम	तालाबों की संख्या
1	भेलूपुर	30
2	दशाश्वमेध जोन	18
3	आदमपुर जोन	10
4	कोतवाली जोन	5
5	वरूणापार जोन	73
6	नवविस्तारित क्षेत्र	248
	कुल योग	384

संकल्प संख्या- 200

श्री सुरेश पटेल– अध्यक्ष महोदय दो–तीन तालाब धार्मिक है, इसमें मछली पालन न कराया जाय।

अध्यक्ष–नगर आयुक्त इसे देख लें, धार्मिक प्रवृति के तालाबों का आवंटन न किया जाय। सभी पार्षद 02 दिन के अन्दर धर्मिक प्रवृत्ति के तालाबों की सूची बनाकर राजस्व विभाग कार्यालय (न0नि0) में प्राप्त करवा दें, तालाब आवण्टन के समय मत्स्य विभाग को भी सम्मिलित किया जाय। मत्स्य पालन करने वाले समुदाय को वरीयता दी जाय।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से संशोधन के साथ स्वीकार किया जाता है।

अध्यक्ष–मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक दि0–08.01.2025 के संकल्प सं0–242 के अनुसार तालाब, कुण्ड व पोखरों को मछली पालन हेतु 10 वर्ष के लिये निलामी प्रक्रिया के अनुसार दिया जाय, जिन आवंटियों द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जायेगा उनका आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जाय एवं धार्मिक तालाब, कुण्ड व पोखरों की निलामी न करायी जाय।

नगर विकास अनुभाग–1 शासनादेश संख्या–7425 टी/9–1–78–37टी (212)/78, दिनांक–25 सितम्बर 1978 द्वारा निर्देशित किया गया है, कि **''वर्तमान में इस प्रकार के ठेके एक वर्ष के लिये ही दिये जाने है। इस व्यवस्था से मत्स्य आखेट के विकास में प्रोत्साहन नही मिलता। मछलियों को पालकर बड़ा करने के लिये अधिक समय की आवश्यकता होती है। अतः यह आवश्यक है कि तालाबों आदि का ठेका अधिक समय के लिये दिया जाय जिससे मछलियो के उत्पादन में वृद्धि हो सके। इसलिये शासन ने यह निर्णय लिया है कि भवष्यि में अब प्रत्येक स्थानीय निकाय द्वारा मत्स्य पालन हेतु तालाबो आदि का ठेका सलाना न होकर पांच साल के लिए दिया जाय।''**

नगर विकास अनुभाग–1 शासनादेश संख्या 2292/नौ–1–87 दिनांक–1 5मई 1987 द्वारा निर्देशित किया गया है, कि भविष्य में अब प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय द्वारा मत्स्य पालन हेतु तालाबो आदि का ठेका 5 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिया जायः–

1. पट्टे का प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण किया जाये।

2. नवीनीकरण के समय ठेकेदारो से प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त धनराशि वसूली जाए।

महापौर
नगर निगम–वाराणसी

मद संख्या-11, दिनांक-08.01.2025

नगर निगम, वाराणसी द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि 2017 लागू की गयी थी, जिसके आधार पर नगर निगम, वाराणसी द्वारा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है। स्वच्छता उपविधि 2017 में वर्णित प्रशमन शुल्क के आधार पर तत्कालीन नगर आयुक्त महोदय के आदेश पत्रांक संख्या-324/सी०एस०यू०/बीएमसी/2021-22 दिनांक-11.10.2021 द्वारा आवासीय / अनावासीय भवनों के विभिन्न श्रेणियों से यूजर चार्जेज वसूल की जा रही है।

नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा जारी पत्रांक संख्या-11016/नौ-5-2021- 162सा/2019 दिनांक-20.10.2021 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली का प्रख्यापन/सम्बन्धित शासनादेश जारी किया गया है, जिसमै संख्या-257/नौ-2021-162सा/2021, दिनांक 20 अक्टूबर, 2021, जिसमे पूरे उत्तर प्रदेश के लिये नयी नियमावली जारी करते हुये, उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 20 अक्टूबर, 2021 जारी की गयी है, जो प्रदेश के सभी निकायों में लागू है।

संकल्प संख्या- 239

श्री दुष्यन्त मौर्या-अपर नगर आयुक्त- सभापति महोदय शासन द्वारा नयी नियमावली के कम में बढ़े हुए दर के अनुसार यह रखा गया है।

सभापति- नगर निगम सीमा में 500 वर्ग फुट से ऊपर सभी व्यवसायिक भवनों की सूची वार्डवार उपलब्ध करायी जाय, इन भवनों से जो आय होगी उसी से कम्पनी का भुगतान किया जायेगा।

श्री नरसिंह दास- सभापति महोदय पहले हमें अपने कार्यपद्धति को विकसित करना होगा, जनता में कूड़े के प्रति जागरूकता पैदा करना होगा, अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, पहले सुविधा दें, जनता यूजर चार्ज देने को तैयार है।

श्री अमरदेव यादव- सभापति महोदय हम गृहकर लेते है तो हम जनता को क्या-क्या सुविधा देते है? तो यूजर चार्ज कहाँ से आया?

नगर आयुक्त- सभापति महोदय नगर निगम अधिनियम में प्रदत्त सुविधाओं यथा सीवर, पेयजल, सफाई, प्रकाश, सड़क आदि व्यवस्थाएं प्रदान की जाती है, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 में दिये गये प्राविधानों के तहत नगर निगम यूजर चार्ज ले सकता है।

श्री दुष्यन्त मौर्या- सभापति महोदय वर्ष 2017 में एक उपविधि तत्कालीन नगर आयुक्त महोदय के नेतृत्व में बनी जिसे मा0 कार्यकारिणी व मा0 सदन द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था। प्रतिदिन वाराणसी में आने वाले पर्यटकों व श्रद्धालुओं की संख्या में काफी वृद्धि होने के कारण मानव जनित होने वाले कूड़े की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिसके संग्रहण एवं निस्तारण में व्यय भार अधिक बढ़ गया है, जिसके दृष्टिगत पूर्व में निर्धारित यूजर चार्जेज की धनराशि में संशोधन करना नगर निगम हित में होगा।

नगर आयुक्त- सभापति महोदय यह अभी सिर्फ व्यवसायिक भवनों के लिए किया गया है, आवासीय के लिए अभी यथावत पुरानी दर ही रखी गयी है।

सभापति- प्रस्ताव संशोधन के साथ सर्वसम्मति से स्वीकार किया जात है-

उक्त जारी गजट नियमावली के पृष्ठ संख्या-22, अध्याय-नौ विन्दु संख्या-29 (1) में प्रयोक्ता शुल्क के सम्बन्ध में वर्णित है कि:-

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक-08 अप्रैल, 2016 के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 (च) में वर्णित है कि ष्उपयोक्ता फीस, जो समुचित समझी जाय, समय-समय पर विहित करना और स्वंय यह प्राधिकृत अभिकरण के माध्यम से ठोस अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं से फीस का संग्रह करनाष तदनुसार उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानीय निकाय द्वारा नियमों का अनुपालन विषयक कार्यवाही की जायेगी,।

अवगत कराना है कि स्वच्छता उपविधि 2017 में वर्णित ष्प्रशमन शुल्कष के आधार पर तत्कालीन नगर आयुक्त के आदेश पत्रांक संख्या-324/सी०एस०यू०/बीएमसी/2021-22 दिनांक-11.10. 2021 द्वारा आवासीय / अनावासीय भवनों के विभिन्न श्रेणियों से वर्तमान समय में यूजर चार्जेज को वसूली की जा रही है। उक्त यूजर चार्जेज का निर्धारण वर्ष 2017 में 7 वर्ष पूर्व किया गया था। वर्तमान वर्ष 2025 में वाराणसी नगर की जनसंख्या में वृद्धि हुई है तथा प्रतिदिन वाराणसी आने वाले

महापौर
नगर निगम-वाराणसी

पर्यटकों व श्रद्धालुओं की संख्या में काफी वृद्धि होने के कारण जनित होने वाले कूड़े की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिसके संग्रहण एवं निस्तारण में व्ययभार अधिक बढ़ गया है। उक्त के दृष्टिगत पूर्व में निर्धारित यूजर चार्जेज को धनराशि में सशोधन करना नगर निगम हित में होगा। यूजर चार्ज को पूर्व निर्धारित दरे व प्रस्तावित दरों का का विवरण निम्नवत् है:-

क्र	श्रेणी	(प्रतिमाह रू0 में)		
		वर्तमान दर	प्रस्तावित दर	संशोधित दर
1	अ-पक्का भवन जिसकी एरिया 500 वर्गफिट से अधिक हो ब-पक्का भवन जिसकी एरिया 500 वर्गफीट से कम हो स-कच्चा	50.00 30.00 20.00	यथावत	
2	अ-जिसमें दुकान हो (500 वर्गफीट से अधिक एरिया हो) ब-जिसमें जिसकी दुकान हो (500 वर्गफीट से कम एरिया हो)	75.00 60.00	150.00 100.00	150.00 100.00
3	पान की दुकान	50.00	100.00	50.00
4	चाय की दुकान	50.00	100.00	50.00
5	रेस्टुरेन्ट (50 वर्गमीटर तक)	500.00	1000.00	700.00
6	रेस्टुरेन्ट (50 वर्गमीटर से अधिक)	800.00	1500.00	1000.00
7ए	होटल 30 कमरे तक	700.00	1500.00	1200.00
7बी	होटल 30 कमरे से अधिक	1500.00	3000.00	2500.00
7सी	होटल तीन सितारा व उसके उपर	4500.00	20000.00	20000.00
8ए	लाज (30 कमर तक)	300.00	600.00	500.00
8बी	लाज (30 कमरे से अधिक)	600.00	1200.00	900.00
9ए	धर्मशाला (30 कमरे तक)	150.00	300.00	250.00
9बी	धर्मशाला (30 कमरे से अधिक)	300.00	700.00	600.00
10	बैंक	250.00	500.00	1000.00
11	सिनेमा हाल	700.00	1500.00	1000.00
12ए	स्कूल जिसमें 500 विद्यार्थी से कम हो	700.00	1000.00	1000.00
12बी	स्कूल जिसमे 500 या उससे अधिक विद्यार्थी	1500.00	2000.00	2000.00
13	मॉल	4500.00	10000.00	10000.00
14	बडे दुकान (जो 10 वर्गमी० या उससे अधिक क्षेत्रफल) अ-मुख्य मार्ग ब-उप मार्ग	150.00 100.00	300.00 200.00	200.00 100.00
15	मध्यम दुकान (जो 10 वर्गमी० या उससे अधिक क्षेत्रफल) अ-मुख्य मार्ग ब-उप मार्ग	100.00 60.00	150.00 100.00	100.00 60.00
16	सब्जी व फल की दुकान	150.00	250.00	150.00
17	नर्सिंग होम व क्लिनिक	750.00	1500.00	1000.00
18	अस्पताल 30 शैय्या से कम अस्पताल 30 शैय्या उससे अधिक	2200.00 4500.00	4000.00 7500.00	2500.00 7500.00
19	विवाह मण्डप **3000-5000 वर्ग फुट तक हाल** **5001 वर्गफुट से ऊपर का हाल** **3000 वर्ग फुट तक का ए.सी. लॉन** **3001-6000 वर्ग फुट तक का ए.सी. लॉन** **6000 वर्ग फुट से ऊपर के ए.सी. लॉन**	1000.00 - - - - -	2000.00 - - - - -	2500.00 **2500.00** **3000.00** **3000.00** **6000.00** **10000.00**
20	छात्रावास 30 कमरे से कम छात्रावास 30 कमरे व उससे अधिक	350.00 700.00	500.00 1000.00	4000.00 3000.00
21	उच्च शिक्षण संस्थान व विश्वविद्यालय	700.00	1000.00	6000.00
22	कोचिंग इंस्टीट्यूट 300 से कम विद्यार्थी। कोचिंग इंस्टीट्यूट 300 व उससे अधिक विद्यार्थी	1000.00 2000.00	1500.00 2500.00	1000.00 2500.00
23	वर्कशाप फैक्ट्री	750.00	2000.00	2000.00
24	दो पहिया अधिकृत वाहन सर्विस सेन्टर	-	-	2500.00
25	चार पहिया अधिकृत वाहन सर्विस सेन्टर	-	-	5000.00
26	बस/ट्रक एवं अन्य बड़ी गाड़ियों के अधिकृत सर्विस सेन्टर	-	-	10000.00

अतः प्रस्तावित यूजर चार्जेज की दरों को नगर निगम हित में अनुमोदन हेतु प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

महापौर
नगर निगम-वाराणसी